मन्दिर न्यास श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.1.2013 से 31.12.2016

भाग–एक

1 **प्रारम्भिकः–**

(i) मन्दिर न्यास श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर बिलासपुर के अवधि 1/2013 से 12/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश हिन्दु धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23 (2) (ग) (2) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः भाषा (A) 3–3/85–पार्ट–II दिनांक 17.1.1989 के दृष्टिगत इस विभाग द्वारा किया गया।

(ii) अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारी न्यास के अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहेः–

क्र0सं0	अध्यक्ष व उपमण्डलाधिकारी (सदर)	कार्यकाल अवधि
1	श्री रोहन चन्द ठाकुर	1.1.2013 से 16.1.2013
2	डा0 एम0एल0 मेहता	29.1.2013 से 15.6.2015
3	डा0 हरीश गज्जू	15.6.2015 से 31.12.2016

(iii) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

मन्दिर न्यास श्री लक्ष्मी नारायण बिलासपुर के अंकेक्षण अवधि 1.1.2013 से 31.12.2016 तक के अंकेक्षण प्रतिवेदन में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार निम्नलिखित हैः–

क्र0सं0	विवरण	पैरा सं0	राशि (₹) लाखों में
1	सावधि जमा निवेश पर कम ब्याज प्राप्त करना	5 (2)	0.49
2	दान से प्राप्त राशि को कम जमा करना	9 (1)	0.04
3	दुकानों के किराये की बकाया राशि की वसूली बारे	11 (क)	8.52
4	दुकानें खाली कर चुके दुकानदारों से किराये की बकाया राशि की वसूली न करना	11 (ख)	0.29
5	अग्रिम राशि का समायोजन न करना	14	5.00
6	न्यास के कर्मचारियों के वेतन से ई0पी0एफ0 की वसूल राशि को नियोक्ता हिस्से के साथ कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय में जमा न करना	16	0.24
7	सी0पी0एफ0 नियोक्ता हिस्से का अधिक भुगतान	17	0.09
8	संविदाकारों के भुगतान बिलों से लेबर सैस की वसूली न करना	21	0.03

(iv) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों के सटिप्पण उत्तरों की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान समीक्षा करने के उपरान्त पैरों का निपटारा किया गया, परन्तु अन्य पैरों के निपटारे हेतु मन्दिर न्यास द्वारा उचित कार्रवाई न किए जाने के परिणामस्वरूप उनका निपटारा नहीं हो सका। अतः पुराने लम्बित पड़े पैरों के निपटारे हेतु मन्दिर न्यास शीघ्र उचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण **परिशिष्ट "क"** में दिया गया है।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

मन्दिर न्यास श्री लक्ष्मी नारायण बिलासपुर के अवधि 1.1.2013 से 31.12.2016 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं श्री चम्बेल सिंह परमार सहायक नियन्त्रक (ले0प0) व श्री पुनीत कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 14.3.2017 से 25.3.2017 तक के दौरान बिलासपुर में किया गया। आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 8/2013, 8/2014, 4/2015 व 11/2016 तथा व्यय हेतु माह 4/2013, 2/2014, 5/2015 व 5/2016 का चयन किया गया।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को मन्दिर न्यास द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। मन्दिर न्यास द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध ही नहीं करवाई गई, के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई दायित्व नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

मन्दिर न्यास श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर बिलासपुर के अवधि 1.1.2013 से 31.12.2016 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹17000/– आंका गया है। सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 180 दिनांक 25.3.2017 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

मन्दिर न्यास श्री लक्ष्मी नारायण बिलासपुर के अवधि 1/2013 से 12/2016 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ख"** में भी दिया गया है।

क्र0सं0	विवरण	2013	2014	2015	2016
1	प्रारम्भिक शेष	7433717.90	8777184.90	9052680.90	9804225.90
2	आय	1253739.00	1023835.00	1338521.00	1745178.00
3	ब्याज	1762585.00	605023.00	894144.00	712875.00
4	कुल जमा	10450041.90	10406042.90	11285345.90	12262278.90
5	व्यय	1672857.00	1353362.00	1481120.00	2707770.00
6	अन्तशेष	8777184.90	9052680.90	9804225.90	9554508.90

(i) रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 31.12.2016 को अन्तशेष ₹9554508.90

(ii) दिनांक 31.12.16 को बैंक व सावधि जमा में निवेश राशि का अन्तशेष विवरण

(A) बैंकों में शेषः–

क्र0सं0	बैंक का नाम	खाता सं0	राशि (₹)
1	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक बिलासपुर	9597	19059.00
2	–यथोपरि–	3617	269903.90
		योग	**₹288962.90**

(B) सावधि निवेश

क्र0सं0	बैंक का नाम	सावधि संख्या	राशि (₹)
1	पंजाब नैशनल बैंक बिलासपुर	2016	8232942.00
2	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक बिलासपुर	1848	1012178.00
		योग	**₹9245120.00**

(C) हस्तगत राशि का विवरण

दिनांक 31.12.2016 को रोकड़ बही के अनुसार हस्तगत राशि ₹20426.00

(iii) दिनांक 31.12.2016 को अन्तशेष विवरण

क्र0सं0	विवरण	राशि (₹)
1	दिनांक 31.12.2016 को बैंकों का अन्तशेष	₹288962.90
2	दिनांक 31.12.2016 को सावधि जमा में अन्तशेष	₹9245120.00
3	दिनांक 31.12.2016 को हस्तगत राशि	₹20426.00
	योग	**₹9554508.90**

5 सावधि निवेशः–

मन्दिर न्यास श्री लक्ष्मी नारायण बिलासपुर के अवधि 1.1.2013 से 31.12.2016 तक न्यास द्वारा सावधि जमा में निवेशित राशि का विवरण निम्नलिखित दर्शाया गया है, विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ग"** में भी दिया गया है।

क्र0सं0	**सावधि सं0**	**निवेश की तिथि**	**निवेशित राशि**	**ब्याज की (%) दर**	**परिपक्वता की तिथि**	**परिपक्वता राशि**	**बैंक का नाम**
1	9964	6.4.16	8232942	7.50%	6.4.17	8867997	पंजाब नैशनल बैंक बिलासपुर
2	2060367	3.10.16	1012178	6.90%	3.10.17	1083846	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक बिलासपुर
		योग	**₹9245120**				

उपरोक्त प्रस्तुत की गई सूचना सही प्रतीत नहीं होती है क्योंकि सावधि जमा रजिस्टर के अनुसार सावधि निवेश ₹1012178 दिनांक 3.1.2008 को सावधि जमा खाता संख्या 454/239374 में निवेशित की गई थी जिसे दिनांक 3.1.2012 को ब्याज सहित ₹1473532 के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए पुनः निवेशित किया गया है। इसके पश्चात पुनः निवेशित किया गया है लेकिन सूचना न तो सावधि जमा रजिस्टर में है न ही बैंक से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत की गई। अतः बैंक से विस्तृत सूचना प्राप्त करके ब्याज का रोकड़ बही के लेखांकन करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5.1 सावधि जमा रजिस्टर का रख–रखाव उचित प्रकार से न करनाः–

सावधि जमा रजिस्टर का रख रखाव उचित प्रकार से नहीं किया गया था समय–समय पर सावधि जमा की पुनः निवेशित राशियों की प्रविष्टियाँ रजिस्टर में नियमित रूप से नहीं की जा रही थी। सावधि जमा रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों को मन्दिर अधिकारी द्वारा भी सत्यापित नहीं किया गया था। सावधि जमा रजिस्टर में उचित प्रकार से प्रविष्टियाँ न करने के कारण सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज की जाँच नहीं की जा सकी। सावधि जमा की छाया प्रतियाँ भी अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी जिनके अभाव में सावधि जमा के पुनः निवेश पर बैंक द्वारा प्रदान ब्याज दर व प्राप्त ब्याज की जाँच नहीं की जा सकी। अतः सावधि जमा रजिस्टर को उचित प्रकार से तैयार न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में सावधि जमा रजिस्टर को उचित प्रकार से तैयार करके सावधि जमा रजिस्टर

में की गई प्रविष्टियों को मन्दिर अधिकारी से सत्यापित करवाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

5.2 सावधि जमा पर ₹0.49 लाख ब्याज के रूप में कम प्राप्त करनाः–

सावधि जमा संख्या 938656 में दिनांक 9.11.2012 को ₹900000 को 9**%** की दर से एक वर्ष के लिए सावधि जमा रजिस्टर के अनुसार निवेशित किया गया था। इसके पश्चात सावधि जमा रजिस्टर में कोई प्रविष्टियाँ पुनः निवेश के सम्बन्ध नहीं की गई थी। दिनांक 31.12.15 को उपरोक्त सावधि जमा के विरूद्ध रोकड़ बही में ब्याज सहित ₹1141936 प्राप्त किया दर्शाया गया था जिसमें ₹900000 निवेशित पर ₹241936 ब्याज प्राप्त दर्शाया गया था। उपरोक्त सावधि जमा पर 9**%** की दर से 9.11.2012 से 31.12.2015 ₹290516 ब्याज अर्जित किया जाना अपेक्षित था जबकि बैंक द्वारा ₹241936 ही ब्याज के रूप में प्रदान किए गये थे। इस प्रकार ₹48580 (₹290516 ₹241936) ब्याज के कम प्राप्त हुये थे। अतः उपरोक्त मामले में बैंक से सावधि जमा में उपरोक्त निवेशित राशि/पुनः निवेशित राशि व उस पर देय ब्याज का 9.11.12 से 31.12.15 तक विस्तृत विवरण प्राप्त करके सावधि जमा रजिस्टर में प्रविष्टियाँ की जाए तथा कम प्राप्त ब्याज की उचित स्त्रोत से वसूली करके राशि मन्दिर न्यास निधि में जमा की जाए।

5.3 सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज का रोकड़ बही में लेखांकन न करनाः–

सावधि जमा संख्या 454/239374 ₹1012178 दिनांक 3.1.2008 को 9.5**%** ब्याज की दर से सावधि जमा खाते में निवेशित की गई थी। इस ₹1473532 को ब्याज सहित दिनांक 3.1.2012 को सावधि जमा रजिस्टर के अनुसार एक वर्ष के लिए पुनः निवेशित किया गया था। लेकिन सावधि जमा के पुनः निवेश के सम्बन्ध में रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं की गई थी न ही सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज ₹461354 (₹1473532–₹1012178) का रोकड़ बही में लेखांकन किया गया था।

उपरोक्त दिनांक 3.1.2012 को पुनः निवेशित ₹1473532 पर दिनांक 3.1.2013 को प्राप्त ब्याज ₹145032 का दिनांक 29.3.2013 को लेखांकन कर लिया गया था। इसके पश्चात सावधि जमा रजिस्टर में उपरोक्त सावधि जमा के सम्बन्ध में पुनः निवेश व ब्याज प्राप्ति इत्यादि की कोई प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी तथा रोकड़ बही में अब भी उपरोक्त सावधि जमा की ₹1012178 निवेशित दर्शाई गई है। अतः उपरोक्त सावधि जमा के सम्बन्ध में बैंक से पुनः निवेश व ब्याज प्राप्ति का 3.1.13 से 31.12.16 तक विस्तृत विवरण प्राप्त करके सावधि

जमा रजिस्टर में प्रविष्टियाँ करके प्राप्त ब्याज का रोकड़ बही में लेखांकन किया जाए तथा कम प्राप्त ब्याज की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाए तथा की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 आय एवं व्यय का विशलेषणः–

मन्दिर न्यास के वर्ष 2012 से 2016 तक आय व व्यय की विवरणी निम्नलिखित हैः–

वर्ष	आय	व्यय
2012	1232374	1174542
2013	1253739	1672857
2014	1023835	1353362
2015	1338521	1481120
2016	1745178	2707770

मन्दिर न्यास श्री लक्ष्मी नारायण बिलासपुर के वर्ष 2013, 2015 व 2016 की आय में बढ़ौतरी हुई है जिसका मुख्य कारण मन्दिर परिसर तथा बस स्टैंड के पास निर्मित दुकानों से किराया वसूली, हिन्दू रीति के अनुसार मन्दिर विवाह की एक मुश्त राशि की प्राप्ति तथा मन्दिर न्यास में चढ़ावे के रूप में राशि का प्राप्त होना है। लेकिन आय की तुलना में व्यय में भी अत्याधिक बढ़ौतरी हुई जिस बारे मन्दिर न्यास अपने स्त्तर पर व्यय पर प्राप्ति के अनुसार अंकुश लगाये।

7 मन्दिर न्यास द्वारा वार्षिक बजट तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास के अनुभाग–22 के अन्तर्गत न्यास द्वारा वर्ष 2013 से वर्ष 2016 तक के लिए मन्दिर न्यास द्वारा वार्षिक बजट तैयार नहीं किया गया। इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण में भी आपत्ति उठाई गई थी लेकिन इसकी अनुपालना न करके उक्त नियम अधिनियम की अवहेलना है। मन्दिर न्यास द्वारा वार्षिक बजट तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सुझाव दिया जाता है कि वर्ष 2013 से वर्ष 2016 के व्यय को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए। भविष्य में विहित प्रावधानानुसार उचित समय पर वर्षवार बजट तैयार करके सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवाया जाना सुनिश्चित करें।

8 सोना व चाँदी का विवरणः–

मन्दिर न्यास श्री लक्ष्मी नारायण बिलासपुर के लेखाओं अवधि 1.1.2013 से 31.12.2016 तक के अंकेक्षण के दौरान मन्दिर में सोने चाँदी का कोई भी आभूषण चढ़त के रूप में प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त मन्दिर न्यास के अधिग्रहण से पूर्व सुसजित अलकांर का कोई भी प्रमाण पत्र अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत किया गया और न ही सम्बन्धित अलंकार स्टॉक

रजिस्टर/अभिलेख न्यास द्वारा तैयार किया गया। अतः न्यास द्वारा उक्त अभिलेख तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा सोने व चाँदी तथा अलंकार से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करके अनुपालना सें अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 गलत गणना के कारण दान की रसीदों से प्राप्त ₹0.04 लाख को कम जमा करनाः—

दान से प्राप्त राशि की रसीदों की जाँच में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार मन्दिर न्यास द्वारा श्रद्धालुओं से प्राप्त राशि की गलत गणना के कारण ₹3620 का रोकड़ बही में इन्द्राज नहीं किया गया और न ही राशि को बैंक खाते में जमा किया गया। अतः कम दर्ज की गई दान राशि की वसूली सम्बन्धित से करके मन्दिर कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुर्नावृति पर अंकुश लगाया जाए।

क्र0सं0	दिनांक	रसीद विवरण	प्राप्त राशि	रोकड़ बही में दर्ज राशि	अन्तर राशि
1	27.8.13	69 से 78 417 273 से 274	3200	3150	50
2	28.2.14	193 से 200 301 से 311 594 से 600 359 से 361	3150	3050	100
3	28.3.14 व 31.3.14	372 से 376	2500	2000	500
4	7.11.14	549 से 550	100	—	100
5	2.9.15	2827 से 2828 334 व 337 669 से 671	5650	3550	2100
6	7.3.16	328 से 330 551, 366 से 391 754 से 792 347 से 349	20400	19800	600
7	4.11.16	2934 से 3000	44005	43835	170
				योग	**₹3620**

9.1 रजिस्टर में गलत गणना के कारण प्राप्त राशि को कम दर्शानाः—

मन्दिर न्यास श्री लक्ष्मी नारायण बिलासपुर के अवधि 1/2013 से 12/2016 के दौरान गणना रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार मन्दिर न्यास द्वारा गणना रजिस्टर में गलत गणना के कारण प्राप्त राशि को कम दर्शाया गया। अतः कम दर्शाई

गई राशि को सम्बन्धित से वसूली करके मन्दिर न्यास कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें।

क्र0सं0	दिनांक	गणना रजिस्टर पेज सं0	वास्तविक राशि	गणना रजिस्टर में दर्ज राशि	कम दर्शाई राशि
1	30.8.2013	43	60099	60077	22

10 अत्याधिक हस्तगत राशि रखकर मन्दिर न्यास निधि का अस्थाई दुर्विनियोजन करना:–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर न्यास की रोकड़ बही के अनुसार प्रतिमाह अत्याधिक राशि हस्तगत रखी गई थी जबकि लक्ष्मी नारायण मन्दिर में कोई भी प्रतिमाह इस तरह का व्यय नहीं किया गया था जिसके लिए हस्तगत राशि की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार अत्याधिक भुगतान चैक के माध्यम से ही किए जाते है। **परिशिष्ट "घ"** पर दिए गये विवरण के अनुसार वर्ष 2013 से वर्ष 2016 के दौरान कई माह में अत्याधिक राशि हस्तगत रखकर मन्दिर न्यास निधि का अस्थाई दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है। अतः अनावश्यक रूप से मन्दिर न्यास निधि से अत्याधिक हस्तगत राशियाँ रखने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में इस तरह की अनियमितता न दोहराया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

11 (क) दुकानों के किराये की बकाया ₹8.52 लाख वसूली हेतु शेष:–

मन्दिर न्यास श्री लक्ष्मी नारायण बिलासपुर द्वारा **परिशिष्ट "ङ"** में दिए विवरणानुसार 31.12.2016 तक विभिन्न दुकानदारों से किराये की बकाया ₹851546 वसूली हेतु शेष थी। मन्दिर न्यास द्वारा दुकानों के किराये की बकाया राशि की वसूली हेतु प्रभावशाली कार्रवाई नहीं गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अब इस बकाया राशि की वसूली के अतिरिक्त भविष्य में दुकानदारों से किराये की राशि को समय पर वसूल करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) मन्दिर न्यास की दुकानों को खाली कर चुके दुकानदारों से किराये की बकाया ₹0.29 लाख की वसूली न करना:–

निम्नविवरणानुसार मन्दिर न्यास की दुकानों को दुकानदारों द्वारा खाली किया गया था लेकिन न्यास द्वारा किराये की बकाया ₹28800 की वसूली अंकेक्षण अवधि तक नहीं की

गई थी। अतः उक्त राशि की वसूली हेतु न्यास द्वारा कार्रवाई न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा इस किराये की बकाया राशि की वसूली हेतु ठोस कदम उठाये जाये तथा अनुपालना से विभाग को अवगत करवाया जाये।

क्र0सं0	नाम दुकानदार	दुकान नं0	दिनांक 31.12.16 तक किराया बकाया राशि
1	श्री कृष्ण लाल	31	28800

(ग) दुकानों के किराये के इकरारनामों का नवीनीकरण न करने बारेः–

मन्दिर न्यास द्वारा किराये द्वारा किराये पर दी विभिन्न दुकानों के इकरारनामों की जाँच में पाया गया कि न्यास द्वारा विभिन्न दुकानें गत कई वर्षों से किराये पर दी गई परन्तु दुकानों के किराये के इकरारनामों का नवीनीकरण नहीं किया गया और न ही इकरारनामों की शर्तों के अनुसार किराये में बढ़ौतरी की गई। अतः न्यास द्वारा दुकानों के किराये में बढ़ौतरी व इकरारनामों का नवीनीकरण न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा शर्तों के अनुसार इन इकरारनामों का नवीनीकरण यथाशीघ्र करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना कर्मचारियों की नियुक्तियाँ करनाः–

अध्यक्ष मन्दिर न्यास श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर द्वारा आयुक्त मन्दिर एवं उपायुक्त बिलासपुर के अनुमोदन के उपरान्त निम्न विवरणानुसार मन्दिर न्यास श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर के कर्मचारियों का नियमितीकरण किया गया था।

क्र0सं0	कार्यालय आदेश सं0	कर्मचारी का नाम पद	वेतनमान	नियमितीकरण की तिथि
1	बी0एल0एस0एल0एन0टी0 स्थापना 1 (1)/2016–078–82 दिनांक 6 अप्रैल 2016	श्री बाबू राम सहायक पुजारी	₹5910–20200+1900ग्रेड पे	01.6.2015
2	बी0एल0एस0–एल0एन0टी0 स्थापना 1 (1)/2016–083–87 दिनांक 6 अप्रैल 2016	श्रीमती सीमा देवी सफाई कर्मचारी/सेवादार	₹4900–10580+1300ग्रेड पे	1.6.2015

उपरोक्त कार्यालय आदेशों द्वारा नियमित किए कर्मचारियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गईः–

(1) हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं पूर्व विनियास अधिनियम 1984 में वर्ष 2007 में किए गये संशोधन के अनुसार मन्दिर न्यास में कर्मचारियों की नियुक्ति करने का अधिकार/व वेतनमान ईत्यादि स्वीकृति करने का अधिकार मुख्य आयुक्त मन्दिर को है। उपरोक्त कर्मचारियों की नियुक्ति/नियमितीकरण से पूर्व मुख्य आयुक्त मन्दिर की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। अतः उपरोक्त नियुक्तियों का मुख्य आयुक्त मन्दिर से स्वीकृति प्राप्त

करके नियमितकरण नियमित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(2) सहायक पुजारी व सेवादार के पद की सरकार से प्राप्त स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई। अतः सहायक पुजारी व सेवादार के पदों की स्वीकृति से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(3) उपरोक्त कर्मचारियों को सरकार की किस पालिसी के अन्तर्गत नियमित किया गया था कार्यालय आदेशों में स्पष्ट नहीं किया गया है। अतः कर्मचारियों को नियमित करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा स्वीकृति पालिसी बारे अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13 मन्दिर न्यास श्री लक्ष्मी नारायण के कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं की जाँच करने पर निम्न अनियमिततायें पाई गईः–

(1) श्री ज्ञान चन्द चौकीदार को वेतन रजिस्टर के अनुसार दिनांक 1.11.2012 से ₹1300 ग्रेड पे के स्थान पर ₹1650 ग्रेड पे का भुगतान किया जा रहा है। ₹1300 के स्थान पर ₹1650 ग्रेड पे का भुगतान करने के सम्बन्ध में सेवा पंजी में कोई आदेश नहीं था और न ही सम्बन्धित कर्मचारी की नस्ति में कोई आदेश पाये गये जिससे प्रतीत होता है कि वेतन बिल सहायक द्वारा अपने स्त्तर पर ही ₹1300 के स्थान पर ₹1650 ग्रेड पे का भुगतान किया गया है जबकि सक्षम अधिकारी के कार्यालय आदेशों के बिना किसी भी कर्मचारी के वेतन में बढ़ौतरी नहीं की जा सकती। अतः श्री ज्ञान चन्द चौकीदार को दिनांक 1.11.2012 से 1300 के स्थान पर ₹1650 ग्रेड पे भुगतान करने के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी के आदेश आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किए जाएं।

(2) सेवा पुस्तिका के अनुसार श्री ज्ञान चन्द चौकीदार का वेतन दिनांक 30.11.14 को ₹7510+1650 था दिनांक 1.12.2014 व आगे वार्षिक वेतन वृद्धियाँ प्रदान करके उनका वेतन निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया थाः–

दिनांक	वार्षिक वेतन वृद्धि के पश्चात	पश्चात निर्धारित वेतन
1.12.2014	7785+1650	9435
1.12.2015	7967+1650	9617
1.12.2016	8210+1650	9860

जबकि वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने के पश्चात श्री ज्ञान चन्द चौकीदार का वेतन निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाना था।

दिनांक	वार्षिक वेतन वृद्धि के पश्चात जो वेतन निर्धारित किया जाना था	
1.12.14	7790+1650	9440
1.12.15	8080+1650	9730
1.12.16	8380+1650	10030

अतः उपरोक्त अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त वेतन निर्धारण में सुधार करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(3) श्रीमती सीमा देवी सफाई कर्मचारी/सेवादार का वेतन दिनांक 1.6.2016 को वार्षिक वेंतन वृद्धि प्रदान करके ₹5086+1300=6386 निर्धारित किया गया था श्रीमती सीमा देवी का वेतन 31.5.2016 को ₹4900+1300 ग्रेड पे=₹6200 था तथा 1.6.2016 को वार्षिक वेतन वृद्धि के पश्चात उनका वेतन ₹5090+1300=₹6390 निर्धारित किया जाना था। अतः वेतन निर्धारण में सुधार करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(4) श्री सत्य देव गौतम की सेवा पुस्तिका के अनुसार श्री सत्य देव गौतम को दिनांक 1.8.2009 को वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत दर्शाया गया है व दिनांक 1.10.2012 से उन्हें ₹3800 ग्रेड पे के स्थान पर ₹4400 ग्रेड पे का भुगतान किया जाता रहा है। दिनांक 1.8.2009 को वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति व 1.10.2012 से ₹3800 ग्रेड पे के स्थान पर ₹4400 ग्रेड पे भुगतान करने के सम्बन्ध सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्यालय आदेशों का सेवा पुस्तिका में कोई विवरण नहीं है न ही सम्बन्धित कर्मचारी की नस्ति में इस तरह के कोई आदेश पाये गये।

वरिष्ठ सहायक के पद की स्वीकृति से सम्बन्धित आदेश भी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये। श्री सत्य देव गौतम का दिनांक 1.8.2009 को वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नती व 1.10.2012 को ₹3800 ग्रेड पे के स्थान पर ₹4400 ग्रेड पे भुगतान करना संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः पूरे मामले की न्यास स्तर पर पूर्ण छानबीन करके वस्तु स्थिति से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए व श्री सत्य देव गौतम को यथानुसार वेतन का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 संविदाकार को किये गये अग्रिम भुगतान ₹5.00 लाख का समायोजन न करनाः—

श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर न्यास सराय हाल के निर्माण कार्य का आबंटन श्री दीपक शर्मा संविदाकार को किया गया था। श्री दीपक शर्मा संविदाकार को चैक संख्या 309776 दिनांक 3.11.2016 को उपरोक्त कार्य के किए गये कार्य के विरूद्ध ₹500000 का अग्रिम भुगतान किया गया था। अग्रिम भुगतान राशि का समायोजन लेखा परीक्षा होने तक नहीं

किया गया था। अग्रिम भुगतान राशि का समायोजन न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अग्रिम भुगतान राशि का शीघ्र समायोजन करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

15 (क) ₹0.49 लाख का अनुचित व्ययः–

श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर न्यास निधि से श्री हनुमान मन्दिर न्यास के बिजली बिलों का भुगतान किया गया था। हनुमान मन्दिर न्यास के बिजली बिलों का भुगतान श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर निधि से करना श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अनियमित रूप से श्री हनुमान मन्दिर न्यास निधि के बिजली बिलों का भुगतान श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर न्यास निधि से करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा निम्न विवरणानुसार श्री हनुमान मन्दिर के बिजली बिलों के रूप में भुगतान की गई ₹49077 की श्री हनुमान मन्दिर न्यास निधि से प्रतिपूर्ति करके श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर न्यास निधि में जमा की जाए तथा भविष्य में श्री हनुमान मन्दिर न्यास के बिजली बिलों का भुगतान श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर न्यास निधि से न किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	चैक नं0	दिनांक	मीटर संख्या	भुगतान राशि	टिप्पणी
1	138979	30.9.13	––––	11003	हाई मास्क लाईट प्रतिभूति राशि एवं अन्य चार्जिज
2	138989	6.3.14	डी0आर0सी0 487	18983	
			एच0एम0 15	3085	
3	138990	25.3.14	डी0आर0सी0 486	1638	
			एच0एम0 15	310	
4	138994	30.4.14	डी0आर0सी0 486	1669	
			एच0एम0 15	463	
5	139822	30.5.14	डी0आर0सी0 486	1032	
			एच0एम0 15	865	
6	139826	31.7.14	डी0आर0सी0 486	1703	
7	139829	29.8.14	डी0आर0सी0 486	1102	
			एच0एम0 15	435	
8	27660	29.11.14	एच0एम0 15	1229	
9	27699	3.4.15	डी0आर0सी0 486	3391	
			एच0एम0 15	2169	
			जोड़	**49077**	

(ख) उपरोक्त पैरे में दर्शाये गये श्री हनुमान मन्दिर न्यास के बिजली बिलों के अतिरिक्त अन्य मासों के श्री हनुमान मन्दिर न्यास के बिजली बिलों के श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर न्यास निधि से किये गये भुगतान की अपने स्तर पर गणना करके अनियमित रूप से श्री हनुमान मन्दिर

न्यास बिजली बिलों के श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर न्यास निधि से किए गये भुगतान की प्रतिपूर्ति श्री हनुमान मन्दिर न्यास निधि से सुनिश्चित की जाए।

16 मन्दिर न्यास कर्मचारियों के वेतन से ई0पी0एफ0 की कटौती की गई ₹0.24 लाख को नियोक्ता हिस्से सहित कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय में जमा न करनाः—

श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर न्यास में कार्यरत्त श्री बाबू राम सहायक पुजारी व श्रीमती सीमा देवी सेवादार को दिनांक 1.6.2015 से नियमित किया गया था। इन कर्मचारियों के वेतन माह 5/2016 से ई0पी0 एफ0 की कटौती की जा रही थी। मन्दिर न्यास द्वारा इन कर्मचारियों के वेतन से वसूल की गई ई0पी0एफ0 की राशि को नियोक्ता हिस्से सहित कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में जमा नहीं करवाया गया था। कर्मचारियों के वेतन से ई0पी0एफ0 की कटौती की गई राशि को कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय में जमा न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा निम्न विवरणानुसार कर्मचारियों के वेतन से कटौती की गई ई0पी0एफ0 की राशि को नियोक्ता हिस्से सहित ₹24248 कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय में जमा करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम/पद	अवधि	मूल वेतन	प्रतिमाह ई0पी0एफ0 कटौती	माह	राशि	नियोक्ता हिस्सा	कुल राशि
1	श्री बाबू राम सहायक पुजारी	1.5.16 से 31.12.16	6150+1900=8050	966	7	6762	6762	13524
2	श्रीमती सीमा देवी सेवादार	1.5.16 से 31.12.16	5086+1300=6386	766	7	5362	5362	10724
							कुल	**24248**

17 सी0पी0एफ0 नियोक्ता हिस्से का ₹0.09 लाख का अधिक भुगतानः—

श्री सत्य देव गौतम, वरिष्ठ सहायक व श्री ज्ञान चन्द चौकीदार मन्दिर अधिग्रहण की तिथि के पहले से नगर परिषद बिलासपुर में कार्यरत्त थे व मन्दिर न्यास श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर का कार्य देख रहे थे। सरकार द्वारा श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर का अधिग्रहण करने पर ये कर्मचारी मन्दिर न्यास श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर में कार्यकर रहे है। यह कर्मचारी पहले से ही सी0पी0एफ0 योजना के अन्तर्गत अपना सी0पी0एफ0 अंशदान जमा कर रहे है तथा नियोक्ता हिस्सा भी इनके सी0पी0एफ0 खातों में जमा किया जा रहा है। इनके सी0पी0एफ0 खाते बैंक में मन्दिर अधिकारी के नाम से अलग—अलग रखे गये है। अंकेक्षण के दौरान पाया

गया कि इन कर्मचारियों के कुल वेतन, जिसमें मकान किराया भत्ता व अन्य भत्ते भी शामिल है पर 12 प्रतिशत की दर से कर्मचारी अंशदान की कटौती करके सम्बन्धित कर्मचारियों के सी0पी0एफ0 खातों में जमा किया जा रहा था तथा कर्मचारी अंशदान के बराबर नियोक्ता हिस्सा भी सम्बन्धित कर्मचारियों के सी0पी0एफ0 खातों में जमा किया गया था। सी0पी0एफ0 से सम्बन्धित जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों पर नियोक्ता हिस्से का भुगतान नहीं किया जा सकता। कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों पर भी सी0पी0एफ0 नियोक्ता हिस्से का भुगतान करने बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त निम्नविवरणानुसार नियोक्ता हिस्से की अधिक भुगतान की गई ₹8955 की सम्बन्धित कर्मचारियों को सी0पी0एफ0 बैंक खातों से निकासी करके मन्दिर न्यास निधि में जमा की जाये। इसके अतिरिक्त अन्य अवधि के दौरान नियोक्ता हिस्से की अपने स्तर पर गणना करके अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली भी सुनिश्चित की जाए।

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम/पद	अवधि	भत्ते जिन पर नियोक्ता हिस्से का भुगतान किया गया	राशि	प्रतिमाह अधिक भुगतान	माह	अधिक भुगतान
1	श्री सत्य देव गौतम वरिष्ठ सहायक	1.1.13 से 31.12.16	मकान किराया भत्ता सी0ए0	600 200 800	96	36	3456
2	श्री ज्ञान चन्द चौकीदार	1.1.13 से 31.12.16	एच0आर0ए0 सी0ए0 धुलाई भत्ता सुविधा भत्ता	400 200 160 50 810	97	36	3499
						योग	8955

18 श्री सत्य देव गौतम को वेतन व भत्तों के रूप में ₹3023 का अधिक भुगतानः—

श्री सत्य देव गौतम वरिष्ठ सहायक को निम्न विवरणानुसार वेतन व भत्तों के रूप में ₹3023 का अधिक भुगतान किया गया था

(1) श्री सत्य देव गौतम वरिष्ठ सहायक का दिनांक 1.8.2013 को वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करके उनका वेतन ₹13520+4400 ग्रेड पे=17920 निर्धारित किया गया था। वेतन का भुगतान करते समय गणना में गलती के कारण उनका वेतन ₹18422 दर्शाकर भुगतान किया गया था जिसके फलस्वरूप श्री सत्य देव गौतम को निम्न विवरणानुसार ₹2862 का अधिक भुगतान किया गया था।

T.T. Laxmi Narayan

अवधि	देय वेतन	मंहगाई भत्ता	जोड़	प्राप्त वेतन	महंगाई भत्ता	जोड़	अन्तर	माह	अधिक भुगतान राशि
1.8.13 से 31.10.13	17920	16128	34048	18422	16580	35002	954	3	2862

(2) श्री सत्य देव गौतम की सेवा पुस्तिका के अनुसार दिनांक 1.8.2016 को वार्षिक वेतन वृद्धि के उपरान्त वेतन ₹15190+₹4400 ग्रेड पे =₹19590 दर्शाया गया था जबकि वेतन रजिस्टर के अनुसार उन्हें 1.8.2016 से 28.2.17 तक ₹15200+₹4400 ग्रेड पे =₹19600 प्रतिमाह की दर से भुगतान किया गया था मूल वेतन ₹19590 के स्थान पर ₹19600 प्रति माह भुगतान करने के फलस्वरूप उन्हें निम्नानुसार ₹161 का अधिक भुगतान किया गया था।

अवधि	देय वेतन	मंहगाई भत्ता	अन्तरिम राहत	जोड़	भुगतान किया वेतन	महंगाई भत्ता	अन्तरिम राहत	जोड़	अन्तर	माह	अधिक भुगतान राशि
1.8.16 से 28.2.17	19590	24879	580	45049	19600	24892	980	45072	23	7	161

उपरोक्त अधिक भुगतान ₹3023 (2862+161) की वसूली उचित स्त्रोत से करके मन्दिर न्यास निधि में जमा किया जाये तथा कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19 ₹2100 मकान किराये भत्ते का अधिक भुगतानः—

श्री बाबू राम सहायक पुजारी की बैण्ड पे दिनांक 1.6.2015 को ₹5910 व दिनांक 1.6.2016 को ₹6150 थी। वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या फिन (सी) बी (7) 1/2012 दिनांक 28.2.2012 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार श्री बाबू राम सहायक पुजारी को जिला मुख्यालय में ₹300 प्रतिमाह मकान किराया भत्ता देय था। जबकि उन्हें 1.6.2015 से 28.2.2017 तक ₹400 प्रतिमाह मकान किराये भत्ते का भुगतान किया गया था। श्री बाबू राम सहायक पुजारी को 21 माह ₹100 (₹400–₹300) प्रतिमाह की दर से ₹2100 मकान किराये भत्ते का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाए तथा भविष्य में नियमानुसार भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

20 संविदाकारों के भुगतान से ₹0.03 लाख के लेबर सैस की वसूली न करनाः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संविदाकारों के निर्माण कार्य बिलों का भुगतान करते समय एक प्रतिशत की दर से लेबर सैस की वसूली नहीं की गई थी। निम्न विवरणानुसार संविदाकारों के भुगतान से ₹3246 की लैबर सैस की वसूली की जानी अपेक्षित

T.T. Laxmi Narayan

थी। संविदाकारों के भुगतान से लेबर सैस की वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त कम वसूल की गई राशि की वसूली अब उचित स्त्रोत से करके राशि सम्बन्धित विभाग में जमा की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्र0सं0	भुगतान की तिथि	कार्य का विवरण	कुल भुगतान राशि	एक प्रतिशत की दर से लेबर सैस की वसूली योग्य राशि
1	13.4.13	श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर में परिक्रमा मार्ग व पलिंथ प्रोटक्शन से सम्बन्धित निर्माण कार्य करना	186432	1864
2	12.4.13	श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर की पैटिंग ईत्यादि से सम्बन्धित कार्य	138242	1382
			योग	**₹3246**

21 संविदाकारों के भुगतान से स्त्रोत पर वसूले गये आय कर व बिक्री कर को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारेः—

अंकेक्षण के दौरान अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि संविदाकारों के निर्माणकार्य बिलों से स्त्रोत पर आयकर व बिक्रीकर की वसूली तो की गई थी लेकिन वसूल की गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था। निम्न विवरणानुसार स्त्रोत पर वसूले गये आयकर व बिक्री कर ₹12988 को वर्ष 2013 से मन्दिर न्यास निधि में ही रखा गया है। स्त्रोत पर आयकर व सैल टैक्स की वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त उपरोक्त राशि को शीघ्र सरकारी कोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	संविदाकार को भुगतान की तिथि	कार्य का नाम	कुल भुगतान राशि	स्त्रोत पर वसूली का विवरण	राशि
1	13.4.13	श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर में परिक्रमा मार्ग व पलिंथ प्रोटकशन से सम्बन्धित निर्माण कार्य करना	186432	आयकर सेल टैक्स	3729 3729
2	12.4.13	श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर की पैटिंग ईत्यादि से सम्बन्धित कार्य करना	138242	आयकर सेल टैक्स	2765 2765
				योग	**₹12988**

22 ₹1509 का अनियमित भुगतानः—

मन्दिर न्यास के बिजली बिलों को भुगतान करते समय बिजली बिलों को उनकी देय तिथि को जमा न करके देरी से जमा किया गया था जिसके कारण बिजली बिलों पर अनियमित रूप से सरचार्ज का भुगतान करना पड़ा। मन्दिर न्यास के बिजली बिलों का समय पर देय तिथि को भुगतान न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा निम्न विवरणानुसार ₹1509 सरचार्ज की भुगतान की गई राशि को उचित स्त्रोत से वसूली करके मन्दिर न्यास निधि में जमा की जाए व अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में बिजली बिलों का उनकी देय तिथि को भुगतान किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त मन्दिर न्यास में बिजली बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में रजिस्टर को तैयार नहीं किया गया था। अतः बिजली बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में रजिस्टर को तैयार किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	भुगतान की तिथि	बिजली मीटर संख्या	देय तिथि को भुगतान योग्य राशि	सरचार्ज	भुगतान की गई राशि
1	5.4.16	बी0एस0आई0 25	5071	97	5168
2	5.4.16	बी0एस0आई0 26	442	8	450
3	5.4.16	बी0एस0आई0 27	2586	49	2635
4	5.4.16	डी0आर0आई0 487	5271	105	5376
5	5.4.16	एच0एम0 15	1685	32	1717
6	5.4.16	एच0एम0 486	1365	27	1392
7	3.4.15	बी0एस0आई0 25	5448	105	5593
8	3.4.15	बी0एस0आई0 27	2271	43	2314
9	3.4.15	बी0एस0आई0 209	2734	53	2787
10	3.4.15	डी0आर0सी0 487	13674	275	14039
11	3.4.15	एच0एम0 15	2129	40	2169
12	3.4.15	एच0एम0 486	3325	66	3391
13	6.3.14	डी0आर0सी0 487	18611	372	18983
14	6.3.14	डी0आर0सी0 486	9018	180	9198
15	6.3.14	एच0एम0 15	3028	57	3085
			जोड़	**1509**	

23 (क) भुगतान वाउचर एवं उनके भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न करनाः—

अंकेक्षण के दौरान निम्न वर्णित भुगतानों से सम्बन्धित वाउचर एवं सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गये। भुगतान वाउचरों भुगतान प्राप्ति की रसीदों एवं सम्बन्धित अभिलेखों के अभाव में दर्शाये गये व्यय का सत्यापन नहीं किया जा सका। अतः दर्शाये गये व्यय से

सम्बन्धित वाउचर एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किए जाए अन्यथा दर्शाये गये व्यय की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करके राशि मन्दिर न्यास निधि में जमा की जाए।

क्र0सं0	**चैक संख्या**	**दिनांक**	**राशि**	**व्यय का विवरण**
1	138977	28.2.2014	21000	पाठियों को भुगतान
2	28010	6.5.2015	3350	पूजा व्यय
3	27689	16.5.2015	16000	पूजा व्यय
4	29316	3.5.2016	3100	पूजा अर्चना व्यय
5	29317	3.5.2016	3500	पूजा अर्चना व्यय
		योग	**₹46950**	

(ख) श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर न्यास की रोकड़ बही को सम्बन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित न करनाः–

मन्दिर न्यास श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर की दिनांक 1.9.2014 से 31.1.2016 तक की रोकड़ बही सम्बन्धित मन्दिर अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की गई थी। रोकड़ बही को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त रोकड़ बही को सम्बन्धित अधिकारी से सत्यापित करवाया जाए तथा भविष्य में भी नियमित रूप से रोकड़ बही को सत्यापित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) मन्दिर न्यास लेखों का प्रतिमाह बैंक के साथ मिलान करके बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं किया जा रहा था बैंक समाधान विवरण प्रतिमाह तैयार न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में प्रतिमाह बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

24 वाउचर नस्तियों का उचित प्रकार से रख रखाव न करनाः–

मन्दिर न्यास श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर की वाउचर नस्तियों का रख–रखाव उचित प्रकार से नहीं किया गया था। वाउचर नस्तियों में वाउचर बेतरतीव ढ़ंग से रखे पाये गये। वाउचरों में न तो वाउचर संख्या लगवाई गई थी न ही उचित प्रकार से टैग लगाये गये थे। वाउचर नस्तियों का रख–रखाव उचित प्रकार से न करना चिन्ता का विषय है। अतः समस्त वाउचर नस्तियों का उचित रख–रखाव किया जाए सभी वाउचरों को रोकड़ बही में किए गये भुगतान के क्रय में वाउचर नस्तियों में लगाया जाए तथा भविष्य में भी वाउचर नस्तियों का रख रखाव उचित प्रकार से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

25 मन्दिर न्यास द्वारा श्रद्धालुओं से दानस्वरूप प्राप्त विभिन्न सामग्रियों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करनाः–

मन्दिर न्यास श्री लक्ष्मी नारायण बिलासपुर के अवधि 1/13 से 12/2016 तक के अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि न्यास द्वारा निम्न विवरणानुसार श्रद्धालुओं से दानस्वरूप प्राप्त विभिन्न सामग्रियों को सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया था जिसके अभाव में सामग्रियों की प्राप्ति विवरण व सामग्रियों के वितरण व अन्तशेष की जाँच नहीं की जा सकी। अतः न्यास द्वारा विभिन्न सामग्रियों की प्राप्ति व वितरण सम्बन्धी स्टॉक रजिस्टर/अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा साथ ही सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों को तैयार करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	वस्तु का नाम	मात्रा/वजन
1	चीनी	101 किलोग्राम
2	राजमाह	35 किलोग्राम
3	मुगी साबुत	55 किलोग्राम
4	काले चने	14 किलोग्राम
5	चने दाल	104 किलोग्राम
6	साबुत माह	47 किलोग्राम
7	काबली चने	13 किलोग्राम
8	मलका दाल	18 किलोग्राम
9	गुड़	75 किलोग्राम
10	सरसों	44 किलोग्राम
11	नमक	163 किलोग्राम
12	गेहूँ	137 किलोग्राम
13	गेहूँ आटा	30 किलो ग्राम
14	चावल	1820 किलेग्राम
15	खिचड़ी	160 किलोग्राम
16	रिफाईंड तेल	13 लीटर
17	सरसों तेल	50 लीटर
18	तिल	35 किलोग्राम
19	हल्दी	8 किलोग्राम
20	महिला सूट	1115 नग
21	पेन्ट कमीज	507 नग
22	नाईट सूट	332 नग
23	कमीज कपड़ा	222 नग
24	धोतियाँ	275 नग
25	चुनियाँ	225 नग
26	गदियाँ/बैठकू	257 नग
27	प्लास्टिक पीडियाँ	140 नग
28	लकड़ी पीडियाँ	26 नग
29	लोहे की पीडियाँ	4 नग

30	लोहे के तवे	19 नग
31	पलाई छोटी चारपाई	13 नग
32	लकड़ी की चौकियाँ	9 नग
33	सन्सी	4 नग
34	लोहे के चीमटें	48 नग
35	लोहे के तेथूं	12 नग
36	चप्पले रबड़	19 नग

26 श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर न्यास में सरकार द्वारा कर्मचारियों के स्वीकृति पदों के आदेश प्रस्तुत न करनाः—

श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर न्यास में निम्न वर्णित कर्मचारी कार्यरत्त है जिनके बारे में मन्दिर अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट "च"** पर संलग्न है। इन कर्मचारियों के श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर न्यास बिलासपुर में सरकार द्वारा स्वीकृति से सम्बन्धित आदेश अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः इन पदों की सरकार द्वारा स्वीकृति से सम्बन्धित आदेश आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	पद
1	श्री सत्य देव गौतम	वरिष्ठ सहायक
2	श्री बाबू राम शर्मा	सहायक पुजारी
3	श्री परमानन्द शर्मा	पुजारी
4	श्री ज्ञान चन्द	चौकीदार
5	श्रीमती सीमा देवी	सफाई कर्मचारी/सेवादार

27 चल अचल सम्पति रजिस्टर तैयार न करनाः—

मन्दिर न्यास श्री लक्ष्मी नारायण बिलासपुर के अवधि 1.1.2013 से 31.12.2016 तक के दौरान जाँच में पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा अपनी चल व अचल सम्पत्ति का रजिस्टर/अभिलेख का निर्माण नहीं किया गया है। इसके अभाव में न्यास की चल व अचल सम्पत्ति की जाँच नहीं की जा सकी। अतः परामर्श दिया जाता है कि चल अचल रजिस्टर को तैयार करके आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

28 अभिलेख प्रस्तुत न करने बारेः—

मन्दिर न्यास श्री लक्ष्मी नारायण बिलासपुर द्वारा अवधि 1/2013 से 12/2016 तक निम्नलिखित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये जिन्हें आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(I) रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर

(II) रसीद संख्या 401 से 500 ₹100 वाली

29 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

30 **निष्कर्षः—** लेखों में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / —

(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881

पृष्ठांकनसंख्याःफिन(एल0ए0)(एच)(2)सी(15)(14)255 / 07खण्ड—1—2914—2917 दिनांकः29.05. 2017, शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है :—

पंजीकृत 1 मन्दिर अधिकारी, मन्दिर न्यास श्री लक्ष्मी नारायण बिलासपुर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजें।

2 उप मण्डलाधिकारी एवं अध्यक्ष मन्दिर न्यास श्री लक्ष्मी नारायण बिलासपुर हि0प्र0

3 निदेशक, (भाषा एवं संस्कृति विभाग) हि0प्र0 शिमला—171009

4 अवर सचिव (भाषा) हि0प्र0 सरकार, शिमला—171002

हस्ता / —

(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881

परिशिष्ट "क"

पैरा संख्या 1 (IV) में वर्णित

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 20.6.2005 से 31.12.2007

1	पैरा–7	अनिर्णीत
2	पैरा–14 (1)	अनिर्णीत
3	पैरा–14 (2)	अनिर्णीत
4	पैरा–15	अनिर्णीत
5	पैरा–17	अनिर्णीत

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2008 से 31.12.2009

1	पैरा–8 (5)	अनिर्णीत

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2010 से 31.12.2012

1	पैरा–3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क ₹8400 चैक संख्या 139000 दिनांक 10.7.14 द्वारा जमा कर दिया गया है)
2	पैरा–4	निर्णीत	(सूचनार्थ)
3	पैरा–5	निर्णीत	(सूचनार्थ)
4	पैरा–6	अनिर्णीत	
5	पैरा–7	निर्णीत	(सूचनार्थ)
6	पैरा–7 (क)	अनिर्णीत	
7	पैरा–8	निर्णीत	(सूचनार्थ)
8	पैरा–9	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दी गई है)
9	पैरा–10 (क)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
10	पैरा–10 (ख)	अनिर्णीत	
11	पैरा–11	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरों का सार

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनुसार अनिर्णीत पैरे	10
वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में लगाए गए पैरे	26
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	7
अन्तशेष	29

T.T. Laxmi Narayan